(ग) "फेरा" के अन्तर्गत किस प्रकार के दण्ड का प्रावधान किया गया है; और

(घ) क्या सरकार "फेरा" को संशोधित करने अथवा इसके स्थान पर एक नय अधिनियम लाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा सीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) महोदय, विदेशी मुद्रा विनिवमन अधिनियम (फेरा) के उल्लघंन के मामलों तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इस संबंध में पिछले तीन वर्षो के दौरान क्षेत्रवार आंकड़े निम्नानुसार है :-

	1996		1997		1998(30.11.1998 **तक**)	
क्षेत्र	**मामलों की संख्या**	**गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या**	**मामलों की संख्या**	**गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या**	**मामलों की संख्या**	**गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या**
अहमदाबाद	*	*	161	04	233	13
बगलौर	**	**	54	03	103	08
कलकत्ता	263	29	279	11	279	07
चेन्नई	726	47	903	31	509	15
दिल्ली	309	19	307	32	121	08
जलन्धर	170	28	291	23	114	06
मुम्बई	815	100	726	55	426	25

* **मुम्बई क्षेत्र के आकंड़ो में शामिल**

** **चेन्नई क्षेत्र के आकंड़ो में शामिल**

अधिकार मामलों में जहां गिरफतार भी की गई है। जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम दो प्रकार के दंड का प्रावधान करता है। उन मामलों में जहां न्यायनिर्णवन कार्यवाहियां आरंभ की जाती है दोषी घोषित किए गए व्यक्तियों को, उल्लंघन में अन्तर्गस्त रकम के पांच गुणा तक, या 5,000 रूपये जो भी अधिक हो अर्धदंड लिया जा सकता है। उन मामलों में जहां अभियोजन कार्रवाई विधि न्यायालय में चलायी जाती है, आरोपित व्यक्तियों को मामलों में अन्तर्गत रकम के अनुसार छह माह से लेकर सात वर्ष तक की कैद अथवा जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को निरब्त करने एवं विदेशी मुद्र से संबंधित कानून को संशोधित तथा समेकित करने हेतु दिनांक 4 अगस्त, 1998 को विदेशी मुद्रा प्रवंधन विधेयक, 1998 लोक-सभा में पेंश किया जा चुका है।

ऋण की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही

2511. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री राजा मोहिन्दर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों को उन लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करनी पडती है जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर उसे वापिस नहीं करते,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के दौरान किस-किस बैंक ने कितनी-कितनी राशि वसूल करने के लिये कानूनी कार्यवाही की,

(ग) क्या इस कानूनी कार्यवाही के फलस्वरूप ऋणों का पुनर्भुगतान किया गया, और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी राशि ऋण-अदायगी के रूप में बैंको को प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) बैंकों की देयराशियों की वसूली के लिए बैंक चूककर्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है। वसूली के लिए मुकदमें आमतौर पर तभी दायर किए जाते है जब वसूली के अन्य प्रयास असफल को जाते है

(ख) से (घ) मार्च 1996, 1997 और 1998 को समाप्त वर्ष को स्थिति के अनुसार ऋण वसूली अधिकरण के पास दर्ज किए गए / हस्तांतरित किए मामलों की कुल संख्या, उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि तथा वसूल की गई राशि नीचे दी गई है:–

(करोड़ रूपए)

		1996	1997	1998
1.	हस्तांतरित / दायर मामले	6338	11635	18878
2.	अन्तर्ग्रस्तराशि	10122.24	14313.59	23378.28
3.	निपटाए गए मामलों की सं.	579	1627	3734
4.	अन्तर्ग्रस्तराशि	442.28	958.69	2137.06 करोड़ रूपए
5.	वसूल की गई राशि	74.27	153.54	420.38

कर्मचारी निरीक्षण ईकाई द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

2512. **श्री बरजिन्दर सिंह** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रह सच है कि सरकार ने वर्ष 1964 में कर्मचारी निरीक्षण इकाई की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो इस इकाई के अधिकार एवं दायित्व कौन-कौन से है;

(ग) क्या यह सच है कि इस इकाई ने अपनी अध्ययन –रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो इस इकाई द्वारा जुलाई , 1998 तक की अवधि सहित विगत तीन वर्षो के दौरान सौंपी गयी रिर्पोटों का ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) व्यव विभाद के पूर्व विशे पुनर्गठन एकक को पुनर्निमित करते हुए अप्रैल, 1964 मे कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन किया गया था।

(ख) इस एकक का दायित्व मितव्ययिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार की संस्थापनाओं के कर्मचारियों की समीक्षा करना है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होते ही सदन के पठल पर प्रस्तुत की जाएगी।

Closure of Accounts of Bhatt Family in Bank of India, Mumbai Branch

2513. KUMARI NIRMALA DESHPANDE: Will the Minister of *FINANCE* be pleased to state:

(a) whether all accounts of Bhatt family in Bank of India D.N. Road Branch, Fort, Mumbai were closed in April, 1995 at the instance of anonymous telephone call reportedly from enforcement Directorate to Head Office of Bank of India;

(b) whether Bank did not reopen the Accounts inspite of representation and accounts were kept suspended for a fortnight causing financial loss and damage to business reputation to the party;